संख्या–वे.आ.–2–253/दस–62(एम)/2008 टी.सी.

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 17 फरवरी, 2011

विषय–वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) से संबंधित विस्तृत व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे.आ.–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा की गयी। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–2 (1)(क) के परन्तुक में निम्न व्यवस्था उपलब्ध है–

"किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।"

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 में ए.सी.पी. के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने पर तत्क्रम में वेतनमान/ग्रेड वेतन की अनुमन्यता से सम्बन्धित स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। विभिन्न श्रोतों से उक्त बिन्दु पर स्पष्ट व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–2(1) (क) के परन्तुक के नीचे निम्न परन्तुक जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

किसी पद पर ए.सी.पी. के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त यदि पद का वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन उच्चीकृत/संशोधित होता है तो ऐसे उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से संबंधित पद पर ए.सी.पी. के अन्तर्गत पूर्व से अनुमन्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के स्थान पर, सम्बन्धित पद पर अनुमन्य उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के आलोक में, उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

टिप्पणी– उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक– (1) पर उपलब्ध है।

3– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 तथा तत्क्रम में जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनूप मिश्र), प्रमुख सचिव।